

दिनांक 23.06.2015 एवं 24.06.2015 को

आयोजित

राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यावली

(अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरक्षेत्रीय मार्गों पर परमिट

नवीकरण संबंधी मामले)

परिवहन विभाग

बिहार, पटना ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवाली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (ख-1) नवादा से पटना अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०-BR-01PA-3666 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-063/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 27.05.2015 तक है । दिनांक 26.05.2015 से 27.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु निगम द्वारा दिनांक 12.05.2015 को आवेदन समर्पित किया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- BR-01PA-3666
मॉडल- 2009
व्हील वेस-4920
बैटान क्षमता-41
कर- 26.06.2015
बुरुस्ती- 20.11.2015
बीमा- 17.06.2015
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०- BR-01PA-3666 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - P P No.-063/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 28.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (ख-2) पटना से नवादा अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०-BR-21B-8566 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-042/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 27.05.2015 तक है । दिनांक 28.05.2015 से 27.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु निगम द्वारा दिनांक 12.05.2015 को आवेदन समर्पित किया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- BR-21B-8566
मॉडल- 2006
व्हील वेस- -
बैठान क्षमता- 32
कर- 08.07.2015
दुरुस्ती- 10.10.2015
बीमा- 26.09.2015
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०- BR-21B-8566 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-042/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 28.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (ख-3) पटना से नवादा अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०-BR-2H-8166 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-043/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 27.05.2015 तक है । दिनांक 28.05.2015 से 27.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु निगम द्वारा दिनांक 12.05.2015 को आवेदन समर्पित किया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- BR-2H-8166
मॉडल- 2008
व्हील वेस- -4920
बैठान क्षमता- 40
कर- 15.07.2015
दुरुस्ती- 08.07.2015
बीमा- 24.06.2015
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०- BR-2H-8166 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-043/2010 को पुराने समय सारणी पर दिनांक 28.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (ख-4) नवादा से पटना अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०-BR-01PB-4566 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-062/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 27.05.2015 तक है । दिनांक 28.05.2015 से 27.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु निगम द्वारा दिनांक 27.05.2015 को आवेदन समर्पित किया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- BR-01PB-4566
मॉडल- 2009
व्हील बेस- -4920
बैठान क्षमता- 41
कर- 06.05.2015
दुरुस्ती- 19.12.2015
बीमा- 28.11.2015
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०- BR-01PB-4566 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-P P No.-062/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 28.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या छ-5) नवादा से पटना अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०-BR-01PB-5466 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-060/2010 निर्माण हेतु जिसकी माल्य अवधि 27.05.2015 तक है । दिनांक 28.05.2015 से 27.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु निगम द्वारा दिनांक 12.05.2015 को आवेदन समर्पित किया गया है । आवेदन के साथ फ्लैट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

वाहन सं०- BR-01PB-5466

मॉडल- 2009

इंजन वेस- -4920

बैटरी क्षमता- 41

दिनांक- 26.04.2015

दुन्दुती- 04.12.2015

बैंक- 11.11.2015

राज्य पत्र- संलग्न है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०- BR-01PB-5466 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-P P No.-060/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 27.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्रश्न आदेदन ।

मद संख्या (ख-6) नवादा से पटना अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०-BR-01PB-6366 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या- P P No.-064/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 27.05.2015 तक है । दिनांक 28.05.2015 से 27.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु निगम द्वारा दिनांक 15.05.2015 को आवेदन समर्पित किया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित जानकारी समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- BR-01PB-6366
- मॉडल- 2010
- व्हील बेस- 5195
- बैठान क्षमता- 53
- कर- 14.05.2015
- दुरुस्ती- 21.04.2016
- बीमा- संलग्न नहीं है ।
- शपथ पत्र- संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 3(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 27.05.2015 को समाप्त होने से 12 दिन पहले वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 15.05.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन परिचालित वाहन सं०- BR-01PB-6366 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-P P No.-064/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 28.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-1) पटना से गुमला मार्ग पर श्री रवि शंकर सिंह के वाहन संख्या-BR-2H-9851 (Model -2008) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-069/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-01.06.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 31.05.2015 तक है। उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-069/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री रवि शंकर सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-2H-9851के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2008
3. बैटान क्षमता - 53
4. व्हील बेस - 5895
5. पथ कर - 19.06.2015
6. दुरुस्ती - 07.10.2015
7. बीमा - 08.08.2015
8. शपथ पत्र - संलग्न है।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- प्राप्त।
10. आवेदन समर्पित करने की तिथि- 18.05.2015

अतः श्री रवि शंकर सिंह के उक्त वाहन संख्या- BR-2H-9851 (Model -2008) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-069/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 01.06.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-31.05.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

दिनांक-इन्डिअन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-2) पटना से गुमला मार्ग पर श्रीमति विनीता सिंह के वाहन संख्या-BR-2H-9651 (Model -2008) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-068/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी माल्य उद्घटे दिनांक-01.06.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 31.05.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-068/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्रीमति विनीता सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-2H-9651 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2008
3. बैटन क्षमता - 53
4. र्हील बेस - 5545
5. ज्य कर - 14.06.2015
6. दुरुस्ती - 17.09.2015
7. डीना - 09.07.2015
8. शब्द पत्र - संलग्न है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- प्राप्त ।
10. आवेदन समर्पित करने की तिथि- 18.05.2015

अतः श्रीमति विनीता सिंह के उक्त वाहन संख्या- BR-2H-9651 (Model -2008) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-068/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 01.06.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-31.05.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-3) सिवान से टाटा मार्ग पर श्री रणविजय कुमार सिंह के वाहन संख्या-BR-01PB-2711 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-080/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-10.06.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 09.06.2015 तक है। उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-080/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु रणविजय कुमार सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-01PB-2711 के निबंधन पुस्त को छान्दने
2. मॉडल - 2009
3. बैटान क्षमता - 37
4. व्हील बेस - 5195
5. पथ कर - 03.06.2015
6. दुरुस्ती - 02.03.2016
7. बीमा - 29.11.2015
8. शपथ पत्र - संलग्न है।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- प्राप्त।
10. आवेदन समर्पित करने की तिथि- 25.05.2015

अतः श्री रणविजय कुमार सिंह के उक्त वाहन संख्या- BR-01PB-2711 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-080/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 10.06.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-09.06.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवली

बिहार-झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-4) सिवान से टाटा मार्ग पर श्री रणविजय कुमार सिंह के वाहन संख्या-BR-01PB-3611 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-081/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-10.06.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 09.06.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-081/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु रणविजय कुमार सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट संहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-01PB-3611 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2009
3. बैठान क्षमता - 37
4. व्हील बेस - 5195
5. पथ कर - 03.06.2015
6. दुरुस्ती - 02.03.2016
7. बीमा - 11.12.2015
8. शपथ पत्र - संलग्न है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- अप्राप्त ।
10. आवेदन समर्पित करने की तिथि- 25.05.2015

अतः श्री रणविजय कुमार सिंह के उक्त वाहन संख्या- BR-01PB-3611 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-081/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक-10.06.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-09.06.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

अन्य विविध मामले- भद संख्या-(ग-5)

बिहार-झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्ग मुंगेर से हजारीबाग (समझौता अधिसूचना का मार्ग संख्या-79) पर श्री नरेन्द्र सिंह के वाहन सं०- BR-46C-9898 एवं BR-46C-8585 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०- पी.एसटी.एस.-083/2014 (जे.एच.) के समय सारणी में अन्तर्राज्यीय समझौता संबंधी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित भाया के अतिरिक्त सुल्तानगंज, संग्रामपुर एवं कटोरिया में ठहराव देने के संबंध में ।

भद संख्या-(ग-5) - बिहार-झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्ग मुंगेर से हजारीबाग (समझौता अधिसूचना का मार्ग संख्या-79) पर श्री नरेन्द्र सिंह के वाहन सं०- BR-46C-9898 एवं BR-46C-8585 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०- पी.एसटी.एस.-083/2014 (जे.एच.) के समय सारणी में अन्तर्राज्यीय समझौता संबंधी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित भाया के अतिरिक्त सुल्तानगंज, संग्रामपुर एवं कटोरिया में ठहराव देने के संबंध में वाहन स्वामी श्री सिंह द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है ।

इस तद्वर्न में उल्लेखनीय है बिहार एवं झारखंड राज्यों के मध्य वर्ष 2007 में हुए अन्तर्राज्यीय पारस्परिक परिवहन समझौता संबंधी निर्गत अधिसूचना में सम्मिलित कुल 200 सौ मार्गों पर निर्धारित मय/ठहराव एवं निर्धारित कोटा के अनुसार दोनों राज्यों द्वारा परमिट का निर्गमन किया जाता है । उक्त अधिसूचना के मार्ग संख्या-79 में शामिल मार्ग मुंगेर से हजारीबाग पर अधिसूचना के अनुसार निर्धारित भाया - बरियारपुर, तारापुर, बेलहर, देवघर, जसीडीह, चकाई, जमुआ के अनुसार श्री नरेन्द्र सिंह के वाहन सं०- BR-46C-9898 एवं BR-46C-8585 के पक्ष में स्थायी परमिट सं०- पी.एसटी.एस.-083/2014 (जे.एच.) एस.टी.ए., बिहार की दिनांक 02.07.2014 की बैठक में उक्त समझौता भाया के अनुसार परमिट की स्वीकृति के उपरान्त तदनुसार परमिट निर्गत किया गया है ।

अतएव श्री सिंह द्वारा मुंगेर से हजारीबाग मार्ग पर उनके वाहन के पक्ष में निर्गत उक्त परमिट के समय सारणी में समझौता अधिसूचना के द्वारा निर्धारित भाया के अतिरिक्त तीन ठहराव सुल्तानगंज, संग्रामपुर एवं कटोरिया में देने हेतु अनुरोध किया गया है ।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार-झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्ग मुंगेर से हजारीबाग (समझौता अधिसूचना का मार्ग संख्या-79) पर श्री नरेन्द्र सिंह के वाहन सं०- BR-46C-9898 एवं BR-46C-8585 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०- पी.एसटी.एस.-083/2014 (जे.एच.) के समय सारणी में अन्तर्राज्यीय समझौता संबंधी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित भाया के अतिरिक्त सुल्तानगंज, संग्रामपुर एवं कटोरिया में ठहराव देने के संबंध में प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवाही

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के स्वामित्व हस्तान्तरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(घ-1) दरभंगा से सिलीगुड़ी मार्ग पर वाहन स्वामी श्रीमति पुष्पा कुमारी के वाहन सं0- BR-09K-3151 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-013/1990 (डब्लु.बी.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि 08.01.2020 तक है। उक्त स्थायी परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-013/1990 (डब्लु.बी.) के परमिटधारी/वाहन स्वामी श्रीमति पुष्पा कुमारी के स्थान पर श्री राम नाथ के पक्ष में स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त वाहन के निबंधन प्रमाण पत्र में आवेदक का नाम हस्तान्तरित किया जा चुका है। आवेदन के साथ स्वामित्व हस्तान्तरण शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं:-

1. वाहन संख्या - BR-09K-3151
2. मॉडल - 2011
3. बैठान क्षमता - 41
4. व्हील बेस - 5545
5. पथ कर - संलग्न नहीं है।
6. दुरुस्ती - संलग्न नहीं है।
7. बीमा - 22.08.2015
8. शपथ पत्र - संलग्न है।
9. सरपंच द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. आवेदन समर्पित करने की तिथि- 06.02.2015

अतः श्री राम नाथ के उक्त वाहन सं0- BR-09K-3151 के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-013/1990 (डब्लु.बी.) के स्वामित्व हस्तान्तरण पर मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा- 82 के आलोक में प्राधिकार का निर्णय आपेक्षित है।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के स्वामित्व हस्तान्तरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(घ-2) पटना से ठाकुरगंज मार्ग पर वाहन स्वामी श्री रविकांत चौधरी के वाहन सं0- BR-01PB-9797 एवं BR-01PB-9898 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-001/2010 (डब्ल्यू.बी.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि 09.02.2015 तक है। उक्त स्थायी परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-001/2010 (डब्ल्यू.बी.) के परमिटधारी/वाहन स्वामी श्री रविकांत चौधरी के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप परमिटधारी की पत्नी श्रीमति सुचिता देवी द्वारा स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त वाहन के निबंधन प्रमाण पत्र में जे.वेदिका का नाम हस्तान्तरित किया जा चुका है। आवेदन के साथ स्वामित्व हस्तान्तरण शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं:-

1. वाहन सं0- BR-01PB-9797	2. वाहन सं0- BR-01PB-9898
मॉडल- 2009	मॉडल- 2010
व्हील वेस-5545	व्हील वेस-5545
बैठान क्षमता- 37	बैठान क्षमता- 37
कर- 12.01.2015	कर- 12.01.2015
दुरुस्ती-19.06.2015	दुरुस्ती- 26.12.2015
बीमा- 27.03.2015	बीमा- 15.03.2015
शपथ पत्र संलग्न है।	शपथ पत्र संलग्न है।
मृत्यु प्रमाण पत्र- दिया गया है।	
अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र संलग्न है।	
आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि-19.01.2015	

अतः श्री रविकांत चौधरी के वाहन सं0- BR-01PB-9797 एवं BR-01PB-9898 के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-001/2010 (डब्ल्यू.बी.) के स्वामित्व हस्तान्तरण पर मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा- 82 के आलोक में प्राधिकार का निर्णय आपेक्षित है।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-पं० बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (ए-3)-नद्युवनी से सिलीगुड़ी मार्ग पर श्री सुनील प्रसाद सिंह एवं श्री मुक्तिनाथ के वाहन सं०-बी.आर.-01पी.ए.-8170 एवं बी.आर.-9डी.-9013 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-002/2005 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 17.08.2015 तक है । दिनांक 18.08.2015 से 17.08.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के लिये प्रमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-01पी.ए.-8170	2. वाहन सं०- बी.आर.-9डी.-9013
मॉडल- 2010	मॉडल- 2007
व्हील वेस-5545	व्हील वेस-5545
बैठान क्षमता- 55	बैठान क्षमता- 53
कर- 18.07.2015	कर- 31.07.2015
दुरुस्ती- 25.03.2016	दुरुस्ती- 06.07.2016
बीमा- 31.03.2016	बीमा- 11.02.2016
शपथ पत्र संलग्न हैं ।	शपथ पत्र संलग्न हैं ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, पं० बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न।	राज्य परिवहन प्राधिकार, पं० बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न।
लीज एग्रीमेंट की प्रति संलग्न है ।	लीज एग्रीमेंट की प्रति संलग्न है ।
आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि-11.06.2015	आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि-11.06.2015

अतः श्री सुनील प्रसाद सिंह एवं श्री मुक्तिनाथ के वाहन सं०- बी.आर.-01पी.ए.-8170 एवं वाहन सं०- बी.आर.-9डी.-9013 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-002/2005 (डब्लू.बी.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 18.08.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

अन्य विविध मामले- मद संख्या (घ-4)- परिवादकर्ता वसीउर रहमान के अधिवक्ता श्री चुनील कुमार गप्ता के माध्यम से अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना को समर्पित परिवाद पत्र एवं अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के पृष्ठांकन आदेश के अनुपालनार्थ राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा अंतर्राज्यीय मार्ग अम्बिकापुर से बोधगया पर मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के बस संख्या- CG-07E-2097 एवं CG-07E-1899 के पक्ष में निर्गत क्रमशः स्थायी परमिट संख्या-CG/ STA/101/2014 एवं CG/ STA/102/2014 के पक्ष में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या-24/2014 एवं 25/2014 को रद्द करने के संबंध में ।

मद संख्या (घ-4)- उल्लेखनीय है कि परिवादकर्ता वसीउर रहमान द्वारा उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंतर्राज्यीय मार्ग अम्बिकापुर से बोधगया पर राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के वाहन संख्या CG-07E-2097 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या- CG/ STA/101/2014 के विरुद्ध राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या- 24/2014 तथा वाहन संख्या- CG-07E-1899 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या- CG/ STA/102/2014 के विरुद्ध राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या-25/2014 को इस आधार पर रद्द करने संबंधी पत्र/आवेदन अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के समक्ष समर्पित किया गया है कि उक्त दोनों वाहनों के पक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर से नर्मदा से अम्बिकापुर मार्ग पर अन्तर्देशीय परमिट संख्या-112/BSP/2014 एवं 113/BSP/2014 निर्गत किया गया है, अर्थात् उक्त दोनों वाहनों के पक्ष में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर सहित राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ से भी दो-दो परमिट निर्गत किया गया है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादकर्ता अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है ।

अतएव परिवादकर्ता से प्राप्त उक्त परिवाद पत्र/आवेदन के आलोक में उक्त संख्या- CG-07E-2097 एवं CG-07E-1899 के पक्ष में अंतर्राज्यीय मार्ग अम्बिकापुर से बोधगया पर राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्गत परमिट संख्या- CG/ STA/101/2014 एवं CG/ STA/102/2014 के विरुद्ध राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या-24/2014 एवं 25/2014 को रद्द करने के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 24 जून 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-पं० बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण संबंधी अन्य विविध मामले ।

मद संख्या (घ-5)-

अन्तर्राज्यीय मार्ग पटना से सिलीगुड़ी पर वाहन स्वामी श्री चन्द्रभूषण शर्मा के वाहन सं०-बी.आर.-01पी.ए.-2542 एवं स्पेयर वाहन संख्या-बी.आर.-01पी.ए.-2543 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-पी.एस.टी.एस.-007/1989(डब्लू.बी.) के दिनांक- 13.11.2014 दिनांक- 12.11.2019 तक नवीकरण किये जाने संबंधी प्राप्त आवेदन को दिनांक- 12.12.2014 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक के मद सं०-झ(3) में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के समक्ष निर्णय हेतु उपस्थापित किया गया था ।

इसी प्रकार उक्त मार्ग पटना से सिलीगुड़ी पर ही वाहन स्वामी श्रीमती सेनु सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-9डी.-8221 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०- पी.एस.टी.एस.-005/1989(डब्लू.बी.) के दिनांक- 13.11.2014 से दिनांक- 12.11.2019 तक नवीकरण किये जाने संबंधी प्राप्त आवेदन को भी दिनांक- 12.12.2014 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक के मद सं०-झ(10) में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के समक्ष निर्णय हेतु उपस्थापित किया गया था ।

उक्त दोनों नवीकरण के मामलों की सुनवाई के उपरांत मद सं०-झ(3) में यह निर्णय लिया गया कि- " प्रस्तावित नवीकरण से संबंधित परमिट पर मद सं०-झ-10 में प्रस्तावित नवीकरण से संबंधित परमिट पर आवृत वाहन सं०-बी.आर.-9डी.-8221 को भी शामिल करने एवं उक्त दोनों वाहनों के पक्ष में पूर्व में निर्गत अलग-अलग परमिट को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय उक्त दोनों मदों में प्रस्तावित नवीकरण से संबंधित परमिट के परमिटधारी वाहनस्वामियों श्री चन्द्रभूषण शर्मा एवं श्रीमती सेनु सिंह की सहमति के आधार पर लिया गया । तदनुसार उक्त दोनों मदों में शामिल दोनों वाहनों के पक्ष में एकीकृत परमिट के नवीकरण का प्रस्ताव पुराने समय सारणी के अनुसार स्वीकृत (छायाप्रति संलग्न) ।"

साथ ही मद संख्या-झ(10) में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :- " मद सं०-झ-3 में लिये गये निर्णय के अनुरूप प्रस्तावित नवीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत (छायाप्रति संलग्न) ।"

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के दिनांक-12.12.2014 की बैठक में नवीकरण हेतु प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय मार्ग पटना से सिलीगुड़ी पर निर्गत एकल खेप स्थायी परमिट सं०-007/1989(डब्लू.बी.) एवं स्थायी परमिट सं०-005/1989(डब्लू.बी.) को एकीकृत परमिट के नवीकरण करने का प्रस्ताव दोनों परमिटधारी वाहनस्वामियों से प्राप्त सहमति के आधार पर स्वीकृत किया गया था । उक्त निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए भी लिया था कि बिहार एवं पं० बंगाल राज्यों के बीच हुए समझौता के अन्तर्गत निर्धारित कोटा से अधिक दो एकल खेप परमितों के कारण श्रीमती सेनु सिंह के वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-005/1989(डब्लू.बी.) का राज्य परिवहन प्राधिकार, पं० बंगाल द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है । तदनुसार निर्धारित कोटा के अन्तर्गत उक्त दोनों परमितों को लाने के उद्देश्य से एवं राज्य परिवहन प्राधिकार, पं० बंगाल द्वारा इनमें से एक परमित के प्रतिहस्ताक्षर नहीं किये जाने की समस्या के स्थायी समाधान हेतु उक्त दोनों एकल खेप परमित को एकीकृत कर राउंड ट्रिप परमित करने संबंधी उक्त निर्णय लिया गया था ।

परन्तु उक्त दोनों परमितों में से एक स्थायी परमित सं०-पी.एस.टी.एस.-007/1989(डब्लू.बी.) के वाहन स्वामी श्री चन्द्रभूषण शर्मा द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के उक्त दोनों परमित के एकीकरण संबंधी निर्णय से असहमति जताते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी.डब्लू.जे.सी. सं०-10723/2005 एवं सी.डब्लू.जे.सी. सं०-11033/2005 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के उक्त निर्णय पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया है ।

अतएव इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार का अपेक्षित है ।